न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल , R.J.S.**
(U.I.D. No.RJ00720)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्याः– **05/2012**
सीआईएस संख्याः– **194/2014**
साधुसिंह **बनाम** कुशालसिंह

उपस्थितिः–
01– श्री इन्द्राज कस्वां, अधिवक्ता–प्रार्थी/वादी
02– श्री राजेश डाल, अधिवक्ता–अप्रार्थी/प्रतिवादी

–आदेश– दिनांक –21.04.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2012 को वादी साधुसिंह ने एक वाद पत्र बाबत इकरारनामा दिनांकित 31.12.1990 की विनिर्दिष्ट अनुपालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादी कुशालसिंह प्रस्तुत किया। दिनांक 17.01.2012 को प्रतिवादी कुशालसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री रोहताश यादव की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 04.07.2012 को प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05.07.2012 को विवाद्यक विरचित कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

02. साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर दिनांक 29.10.2014 को वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी ने विवादित भूमि जरिये इकरारनामा कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह से खरीद की है एवं इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पेश किया है। विवादित भूमि का वास्तविक स्वामी कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया था। दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह जाति रायसिख निवासी 11 पी तहसील अनूपगढ जो वर्तमान में 4 टी डी तहसील मोहनगढ़ जिला जैसलमेर में निवास कर रहा है। दीवानसिंह का 11 पी पतरोड़ा में इसी नाम से वोटरलिस्ट, राशनकार्ड एवं परिचय पत्र बना हुआ है। उक्त दीवानसिंह ने कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह बनकर एवं अपने आपको कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह बताकर गलत तथ्यों के आधार पर जवाबदावा दिनांक 05.07.12 पेश किया है। दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह के नाम से तहसील अनूपगढ के चक 2 एच का मु०नं० 140/28 में 14 बीघा नहरी भूमि थी जिसे दीवानसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.01.96 को किछोबाई वगैरा से खरीद की थी। उक्त खरीद के समय इसी दीवानसिंह ने दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटरलिस्ट पेश की व बैयनामा पंजीबद्ध करवाया था। तत्पश्चात दीवानसिंह ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.06.96 को दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह के नाम से ही विक्रय

की है। इस रजि. बैयनामा पर व उप पंजीयक कार्यालय के संबंधित रजिस्टर में इसी दीवानसिंह की अंगूठा निशानी लगी हुई है। दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह ने विवादित भूमि को हड़प करने की नीयत से अपने आपको वादी कुशालसिंह बताकर अनवान सदर के बाद पत्र में जवाबदावा दिनांक 05.07.12 पेश किया है जबकि इसी दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह को अनवान सदर के वाद पत्र का जवाबदावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह का विवादित्त भूमि के संबंध में कोई वास्ता नहीं है जिसने कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह के नाम के व्यक्ति की भूमि हड़प करने की नीयत से अपने आपको कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह बताकर जवाबदावा पेश कर दिया है। दीवानसिंह जो अपने आपको कुशालसिंह बता रहा है, के पास कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह के नाम का मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज नहीं है। चूंकि अनवान वाद में वास्तविक वादी कुशालसिंह द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है बल्कि उक्त कथित दीवानसिंह द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है जिसे वापिस लौटाया जाना न्यायहित में न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवान के वाद पत्र में जो जवाबदावा दिनांक 05.07.12 को कथित दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह ने कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह बनकर पेश किया है, को वापिस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

03. उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी कुशालसिंह की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अप्रार्थी/प्रतिवादी ने कभी भी प्रार्थी के पक्ष में कोई इकरारनामा दिनांक 14.05.93 को नहीं किया। अप्रार्थी/प्रतिवादी ही विवादित भूमि का वास्तविक मालिक है एवं अप्रार्थी को ही उक्त वर्णित कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। प्रतिवादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया नहीं है। विवादित भूमि की किस्ते भरी जाते समय कई व्यक्तियों ने अपने आपको कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह बताकर किस्ते भरने में आपत्ति की थी जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा इस संबंध में असली कुशालसिंह होने बाबत् विस्तृत जांच तहसीलदार टिब्बी व सरपंच गुडिया से करवाई गई जिस जांच में प्रतिवादी को ही असली कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह होना पाया गया एवं इसी आधार पर विवादित भूमि की बकाया किश्तें उसके द्वारा भरी जा चुकी है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाबदावा में समस्त तथ्यों का वर्णन किया जा चुका है। प्रार्थी/वादी ने उसके खिलाफ माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया था तथा उसके उपस्थित होने तथा जवाबदावा पेश करने तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई, अब साक्ष्य वादी हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं तथा साक्ष्य बंद होने की कगार पर है जिससे बचने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/वादी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ही असली

कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह है जिसने सही तथ्यों के आधार पर जवाबदावा पेश किया है। प्रार्थी/वादी ने प्रतिवादी/अप्रार्थी के खिलाफ इस बाबत एफआईआर दर्ज करवाई गई लेकिन अनुसंधान में अप्रार्थी को ही असली कुशालसिंह माना गया था। अप्रार्थी ही कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह है जिसका जवाबदावा लौटाया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। उसके अलावा अन्य कोई कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह हो, ऐसा कोई सबूत प्रार्थी ने पेश नहीं किया है, ना ही जवाबदावा का जवाबउल जवाब पेश किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

04. उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षों को यह आदेश दिया गया कि वे इस न्यायालय के समक्ष अपनी अपनी साक्ष्य इस बाबत पेश कर इस बात को साबित/नासाबित करें कि इस प्रकरण में जिस व्यक्ति द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है, वह व्यक्ति कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह है अथवा दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह है।

05. उक्त आदेश की पालना में वादी की ओर से ए डब्ल्यू 1 साधुसिंह, ए डब्ल्यू 2 जरनेलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, ए डब्ल्यू 3 जरनेलसिंह पुत्र बख्तावरसिंह, ए डब्ल्यू 4 गुरबचनसिंह व ए डब्ल्यू 5 हरनेकसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 39 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादी की ओर से डी डब्ल्यू 1 रामकुमारसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 लगायत ए–15 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

06. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी साधुसिंह के द्वारा कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह के साथ एक इकरारनामा किया गया था और कुशालसिंह के विरूद्व ही इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जबकि दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह ने कुशालसिंह बनकर न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करवाई और जवाबदावा प्रस्तुत किया। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित है कि कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह व दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह भिन्न–भिन्न व्यक्ति है एवं प्रतिवादी कुशालसिंह की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा पर दीवानसिंह की ही फोटो चस्पा है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा एवं वकालतनामा पर अंकित अंगूठा निशानी भी दीवानसिंह की ही है। दीवानसिंह पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आया था और उसे पतरोड़ा में पाकिस्तान विस्थापित के रूप में कृषि भूमि आवंटित हुई थी जबकि कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह राजस्थान का ही मूल निवासी था और भूमिहीन था जिससे उसे भाखड़ा योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटित हुई थी। दीवानसिंह द्वारा स्वयं को आवंटित भूमि

दिनांक 13.06.1996 को जरनेलसिंह व हरनेकसिंह को विक्रय कर बैयनामा निष्पादित किया गया था जिसके गवाह जनरेलसिंह व गुरबचनसिंह थे। उक्त व्यक्तियों को वादी ने साक्षी के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है जिनकी साक्ष्य से भी यह साबित है कि वकालतनामा पर चस्पा फोटो कुशालसिंह की न होकर दीवानसिंह की है। अंत में दीवानीसिंह की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाबदावा को वापिस लौटाये जाने का निवेदन किया गया।

07. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रतिवादी कुशालसिंह के द्वारा कभी भी कोई इकरारनामा वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में विस्तृत जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा पर कुशालसिंह की ही फोटो चस्पा है तथा जवाबदावा एवं वकालतनामा पर कुशालसिंह की ही अंगूठा निशानी अंकित है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी रामकुमार पुत्र कुशालसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में उसके पिता द्वारा वादी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। कथित बैयनामा दिनांकित 13.06.1996 के क्रेता एवं साक्षी वादी से मिलीभगत कर न्यायालय में साक्ष्य देते हैं और इनकी साक्ष्य से यह भी साबित नहीं होता है कि कुशालसिंह के स्थान पर दीवानसिंह ने न्यायालय में वकालतनामा व जवाबदावा प्रस्तुत किया हो। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दीवानसिंह के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी जिसमें भी बाद अनुसंधान न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। वादी द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रकरण में विलम्ब करने के आशय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अंत में प्रकरण में जवाबदावा कुशालसिंह द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया गया।

08. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु है कि–प्रकरण में प्रस्तुत जवाबदावा कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है अथवा दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह द्वारा ?

09. प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह तथा दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह दो भिन्न–भिन्न व्यक्ति हैं तथा दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। उक्त बिन्दु के संबंध में वादी साधुसिंह ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह ने कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह बनकर दिनांक 04.07.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया था। दीवानसिंह राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने अपने प्रभाव का गलत प्रयोग कर तहसीलदार राजस्व टीबी से गलत रिपोर्ट भी प्राप्त की थी। प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वादी साधुसिंह के द्वारा

दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह व अन्य के विरूद्व दिनांक 06.02.2012 को उक्त तथ्यों को वर्णित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह द्वारा स्वयं को कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने एवं तहसील टीबी से गुडिया निवासी होने का तस्दीक प्रमाण पत्र जारी करवाने के आरोप लगाये गये थे। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद अनुसंधान थानाधिकारी, पुलिस थाना अनूपगढ द्वारा दिनांक 21.06.2012 को इस आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि परिवादी साधुसिंह द्वारा लगाये गये आरोप बाद अनुसंधान प्रमाणित नहीं होते हैं। उक्त अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिसके विरूद्व वादी साधुसिंह द्वारा कोई अपील भी नहीं की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी साधुसिंह के द्वारा दिनांक 06.02.2012 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना अनूपगढ में दर्ज करवा दी गई थी कि प्रतिवादी कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह के स्थान पर दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह न्यायालय में उपस्थित हुआ है जबकि इस आशय की कोई सूचना वादी की ओर से इस न्यायालय में नहीं दी गई और करीब दो वर्ष के विलम्ब के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस देरी का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। साधुसिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित करवाया है कि स्वयं कुशालसिंह ने उसे यह बताया कि वह दिनांक 17.01.2012 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अतः वादी साधुसिंह इस तथ्य की सूचना न्यायालय को देकर प्रतिवादी कुशालसिंह को तलब करवा सकता था अथवा स्वयं ही असली कुशालसिंह को न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता था परन्तु करीब दो वर्ष तक इस संबंध में वादी द्वारा न्यायालय में कोई सूचना नहीं देने अथवा इस न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं करने से वादी के कथनों पर संदेह उत्पन्न होता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि वादी साधुसिंह ने स्वयं द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि कुशालसिंह ने औलमा देते हुए उसे कहा कि दिनांक 17.01.2012 को वह बीमार होने के कारण अदालत में नहीं आ सका था और न ही अधिवक्ता नियुक्त कर सका था, तब वादी साधुसिंह ने फर्जी कुशालसिंह पेश कर स्टे ले लिया है जो वादी ने अच्छा नहीं किया है। न्यायालय के विनम्र मत में यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त हो कि उसकी भूमि के संबंध में किसी फर्जी व्यक्ति ने न्यायालय में उसके स्थान पर उपस्थित होकर उसकी भूमि के संबंध में कोई स्टे आदेश प्राप्त कर लिया है तो वह व्यक्ति अवश्य ही स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय को वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत करवाकर उस स्टे आदेश को निरस्त करवाने के लिये निवेदन करेगा और उस फर्जी व्यक्ति के विरूद्व आवश्यक विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी अन्य कुशालसिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं

किया गया है कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने न्यायालय में उपस्थित होकर उसकी भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में स्टे आदेश पारित करवा दिया है। अतः उक्त तथ्य से भी वादी के कथनों पर संदेह उत्पन्न होता है।

10. जहां तक वकालतनामा प्रदर्श 29 एवं जवाबदावा पर प्रतिवादी कुशालसिंह की अंगूठा निशानी नहीं होने और उक्त दस्तावेज पर दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह की अंगूठा निशानी होने का प्रश्न है, इस संबंध में वादी की ओर से कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि उक्त जवाबदावा व वकालतनामा पर कुशालसिंह की अंगूठा निशानी नहीं होकर दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह की अंगूठा निशानी हो। वादी की ओर से ऐसी कोई अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट हो कि स्वयं द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उसके द्वारा उक्त दस्तावेज की अंगूठा निशानी की जांच करवाये जाने बाबत कोई निवेदन किया गया हो। अतः बिना किसी ठोस साक्ष्य के यह साबित नहीं माना जा सकता कि जवाबदावा व वकालतनामा पर अंगूठा निशानी प्रतिवादी कुशालसिंह की न होकर दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह की हो।

11. जहाँ तक दीवान सिंह पुत्र सावन सिंह द्वारा दिनांक 13.06.1996 को अपनी भूमि हरनेकसिंह व जरनेल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह को विक्रय कर बैयनामा पंजीबद्ध करवाये जाने और उक्त बैयनामा पर चस्पा फोटो व वकालतनामा पर चस्पा फोटो एक ही व्यक्ति के होने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी जरनेल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह व हरनेक सिंह ने दीवान सिंह पुत्र सावन सिंह से भूमि क्रय किए जाने तथा वकालतनामा प्रदर्श 29 पर चस्पा फोटो दीवान सिंह की होने का कथन किया है। इसी प्रकार उक्त बैयनामा के साक्षी जरनेल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह एवं गुरबचन सिंह ने भी वकालतनामा प्रदर्श 29 पर चस्पा फोटो दीवान सिंह की होने का कथन किया है, परंतु उक्त साक्षीगण दौराने प्रतिपरीक्षा मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर स्थिर नहीं रहे हैं। दौराने प्रतिपरीक्षा जरनेल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह व हरनेक सिंह ने यह स्वीकार किया है कि वकालतनामा प्रदर्श 29 व बैयनामा प्रदर्श 28 की फोटो साफ नहीं है, इस कारण नहीं मिलती है। इन साक्षीगण ने यह भी स्वीकार किया है कि इन्होंने कुशाल सिंह नामक व्यक्ति को कभी नहीं देखा है, न ही उसे जानते हैं। इन साक्षीगण ने प्रदर्श 29 वकालतनामा पर चस्पा फोटो वाले व्यक्ति का नाम कुशाल सिंह हो तो, उक्त तथ्य से भी अनभिज्ञता जाहिर की है। उक्त साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि उक्त साक्षीगण दीवान सिंह पुत्र सावन सिंह को भी नहीं जानते हैं और उन्होंने किसी दलाल के कहने मात्र से ही प्रदर्श 28 पर अंकित फोटो वाले व्यक्ति का नाम दीवान सिंह होना बताया है। उक्त साक्षीगण उक्त दलाल का नाम भी बताने में

असमर्थ रहे हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त भूमि के क्रेता जरनेल सिंह ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि जमीन खरीदने के बाद उसने दीवान सिंह को कभी नहीं देखा क्योंकि वह जमीन बेचकर रामगढ़ चला गया था। उक्त भूमि के अन्य क्रेता हरनेक सिंह ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जब दीवान सिंह को देखा था, तब उसके दाढ़ी वगैरा नहीं थी। न्यायालय के विनम्र मत में उक्त साक्षीगण के द्वारा दीवान सिंह पुत्र सावन सिंह को अंतिम बार बैयनामा की दिनांक 13.06.1996 को देखा गया था और उसके करीब 30 वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त साक्षीगण वकालतनामा पर लगी हुई केवल फोटो देखकर उक्त व्यक्ति को पहचान सकते हैं, यह बात एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को अपील नहीं करती है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब साक्षीगण यह स्वीकार करते हैं कि जब उनके द्वारा दीवान सिंह को देखा गया था, तब उसके दाढ़ी नहीं थी, जबकि वकालतनामा प्रदर्श 29 पर चस्पा फोटो में व्यक्ति के लंबी–लंबी दाढ़ी है। इसी प्रकार बैयनामा के साक्षीगण जरनेल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह व गुरबचन सिंह ने भी अपनी साक्ष्य में कुशाल सिंह को जानने से इनकार किया है और प्रदर्श 29 वकालतनामा पर चस्पा फोटो वाला व्यक्ति का नाम कुशाल सिंह हो तो, उक्त तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से भी यह साबित नहीं होता है कि वकालतनामा प्रदर्श 29 पर चस्पा फोटो कुशालसिंह की ना होकर दीवानसिंह की हो। यदि स्वयं न्यायालय द्वारा वकालतनामा प्रदर्श 29 व बैयनामा प्रदर्श 28 पर चस्पा फोटो का अवलोकन किया जाये तो उक्त फोटोग्राफ भिन्न–भिन्न होने से यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उक्त फोटोग्राफ एक ही व्यक्ति के है अथवा अलग अलग व्यक्तियों के। साक्षी डी डब्ल्यू 1 रामकुमारसिंह पुत्र कुशालसिंह ने अपनी साक्ष्य में अपने पिता कुशालसिंह की मृत्यु दिनांक 21.04.2018 को होने और अपने पिता द्वारा कृषि भूमि के बेचान के संबंध में इकरारनामा लिखे जाने से स्पष्ट इंकार किया है।

12. उपरोक्त विवेचनानुसार यह साबित नहीं होता है कि दीवानसिंह पुत्र सावनसिंह ने कुशालसिंह पुत्र सरदारासिंह बनकर हस्तगत वाद में जवाबदावा प्रस्तुत किया हो। अतः जवाबदावा लौटाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

13. आदेश आज दिनांक 21.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल
अपर जिला न्यायाधीश सं. 01,
अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर